उनवान .... बनाम ....

रा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] हुक्म की त[illegible]
30.5.24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] अधिवक्ता [illegible] प्रार्थना पत्र 212 पर सुनवाई हुई। प्रार्थना पत्र 212 RT. [illegible] स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. पत्रा. किया गया। [illegible] पत्रावली फैसल [illegible] की जाकर [illegible] मूल वाद [illegible] रहे। [illegible]	

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 62/2013 तारीख दायरा 23.12.2013

उनवान

1. मोनू नाबालिग पुत्र श्री प्रकाशचन्द जाति भील निवासी मोईकलां,
2. जीतमल नाबालिग पुत्र श्री प्रकाश जाति भील निवासी मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा नाबालिग की वली माता श्रीमती दौलीबाई पत्नी श्री प्रकाशचन्द जाति भील निवासी ग्राम मोईकों तहसील सांगोद। – प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रकाशचन्द पुत्र गोबरीलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
2. रामस्वरूप पुत्र गोबरीलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
3. रामदयाल पुत्र गोबरीलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
4. बाबूलाल पुत्र गोबरीलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
5. हनुमान पुत्र गोबरीलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
6. भागचन्द पुत्र गोबरीलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
7. सुशीलाबाई पुत्री गोबरीलाल जाति भील निवासी मोईकलां तहसील सांगोद।
8. घींसीबाई बेवा गोबरीलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
9. कंवरीबाई बेवा प्रभूलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
10. अमरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
11. भैरूलाल पुत्र घांसीलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
12. लटूरलाल पुत्र कंवरलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
13. बाबूलाल पुत्र कंवरलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
14. बद्रीलाल पुत्र कंवरलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
15. चौथमल पुत्र कंवरलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
16. शान्तिबाई पुत्री कंवरलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।
17. धापूबाई पुत्री कंवरलाल जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।

Scanned with OKEN Scanner

18. देवलाल पुत्र कजोड़ जाति भील निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद।

19. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – अप्रार्थीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर. टी. एक्ट के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

दिनांक :–

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील प्रार्थीगण)

श्री अब्दुल वहीद अंसारी (वकील अप्रार्थीगण)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

- अप्रार्थी कं. 1 प्रार्थीगण का पिता है जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है :–

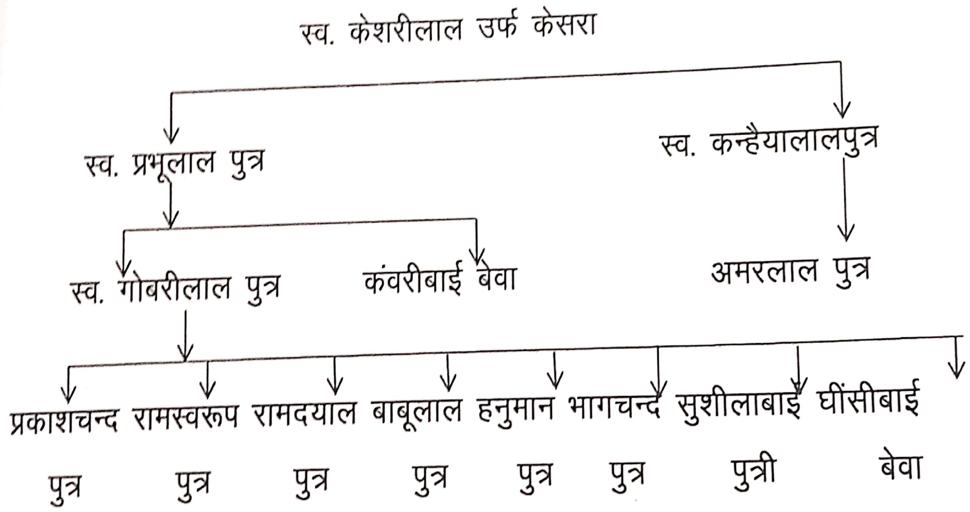

- प्रार्थीगण व अप्रार्थी कं. 1 के मध्य परस्पर पिता–पुत्र का संबंध है तथा अप्रार्थी क्रं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में शामलाती रूप से दर्ज खतोनी संख्या 606 के खसरा नंबर 2467 रकबा 0.10, खसरा नंबर 2937 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 2938 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 2939 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 2940 रकबा 0.04 हैक्टर,

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नंबर 2941 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नंबर 2942 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 2943 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 2944 रकबा 1.48 हैक्टर, खसरा नंबर 2945 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 2946 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 2947 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 2948 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नंबर 2949 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नंबर 2950 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नंबर 2951 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नंबर 2952 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नंबर 2953 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नंबर 2954 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 2957 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 2958 रकबा ०0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 2962 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नंवर २2963रकबा 0.69 हेक्टर, खसरा नंबर 2964 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नंबर 2965 रकबा 1.39 हेक्टर, खसरा नंबर 2966 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नंबर 2967 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नंबर 2968 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नंबर 2969 रकबा 1.64 हैक्टर, खसरा नंबर 2970 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नंबर 2971 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा नंबर 2971/1 उत्तर रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नंबर 2973 रकबा 1.00 हेक्टर, खसरा नंबर 2974/1 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नंबर 2974 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नंबर 2979 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 2979/1 पश्चिम रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 2980/1 पश्चिमी रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 2980 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 2981/1 दक्षिणी रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नंबर 2981 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नंबर 2982 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 2983 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नंबर 2984 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 2985 रकबा 0941 हैक्टर, खसरा नंबर 2986 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 2987 रकबा 0975 हैक्टर, खसरा नंबर 2988 रकबा 3.03 हैक्टर, खसरा नंबर 2989 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नंबर 2990 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 2991 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 2992 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नंबर 3026 रकबा 4.48 हैक्टर, खसरा नंबर 3027 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 3028 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 3029 रकबा 1.19 हैक्टर, खसरा नंबर 3030 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नंबर 3031 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नंबर 3032 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नंबर 3033 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 3034 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 3035 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नंबर 3036 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नंबर 3037 रकबा 9.48 हैक्टर, खसरा नंबर 3037/1 उत्तर रकबा 10.25 हैक्टर, खसरा नंबर 3038 रकबा 0.52 हेक्टर, खसरा नंबर 3039 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 3040 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नंबर 3042 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा

Scanned with OKEN Scanner

नंबर 3043 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 3044 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नंबर 3045 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 3046 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नंबर 3047 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 3048 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 75 की कुल 63.63 हैक्टर पुश्तैनी आराजी माल ग्राम मोईकलॉ तहसील साँगोद जिला कोटा में स्थित है।

- प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजों की पुश्तैनी सम्पत्ति है जो पक्षकारान को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण को उक्त आराजी में अप्रार्थी क्रं. 1 के हिस्से में जन्मजात अधिकार हासिल है तथा विवादग्रस्त भूमि में निहित अपनी हिस्सा आराजी को प्रार्थीगण अपनी वली माता के माध्यम से काश्त करता चले आ रहे हैं। साथ ही प्रार्थीगण अप्रार्थी कं. 1 के जीवनकाल में ही अपने काश्तकारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपनी हिस्सा आराजी स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है।
- अप्रार्थी कं. 1 को शराब पीने का शौक है जो काफी फिजूलखर्ची करता है तथा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित होने का नाजायज फायदा उठाने की नीयत से अप्रार्थी क्रं. 1 ता 10 विवादग्रस्त आराजी को बैचने को आमादा रहता है। दिनांक 17.12.2013 को प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी क्रं. 1 ता 10 ने इन्कार कर दिया तथा राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने मात्र के आधार पर आराजी विक्रय करने की धमकी दी।
- अतः प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर निवेदन है कि बहक प्रार्थीगण व खिलाफ अप्रार्थीगण निम्न आशय की आज्ञा ताफैसला वाद सादिर पारित फरमायी जावे कि – माल ग्राम मोइकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित विवादग्रस्त आराजी में बिना विभाजन करवाये अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन, रहन, दान, विक्रय, अन्य प्रकार से हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें, उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने नौकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावे।
- उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी सं. 1 ता 9 एवं 11 ता 18 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 19 फार्मल पक्षकार है।

Scanned with OKEN Scanner

➢ प्रकरण में प्रतिवादी सं. 10 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण मात्र अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की आराजी में अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है परन्तु अन्य पक्षकारान के हिस्से की आराजी में प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का हित निहित नही है इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 10 के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

➢ प्रकरण में प्रारम्भिक स्थिति में आगामी तेशी तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति हेतु आदेश जारी किये गये थे। अप्रार्थी सं. 10 का जवाब पेश होने के उपरान्त प्रार्थीगण की सहमति पर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थी सं. 10 के हिस्से की आराजी को अप्रभावित रखने के आदेश पारित किये गये थे।

➢ जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया ।

➢ मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.सी.पी के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तो की पालना आवश्यक है –

1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के विधिक वारिस हैं। इस कारण प्रार्थीगण का विवादित आराजी में से अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार एवं हिस्सा निहित है। इस कारण वर्तमान में प्रकरण प्रार्थी के लिए प्रथम दृष्टया माना जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना, बताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिए उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

विवादित आराजी पर प्रार्थीगण द्वारा स्वयं का कब्जा होना व्यक्त किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज, साक्ष्य, सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो सके कि प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। इस कारण वर्तमान में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है। कब्जे का निर्धारण दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के विधिक वारिस है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का विवादित आराजी में हिस्सा एवं अधिकार निहित है। वर्तमान में प्रार्थीगण विवादित आराजी में रेकार्डेड खातेदार नहीं है। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपना नाम रेकार्ड में दर्ज होने का फायदा उठाकर विवादित आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरित करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होती है।

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक स्थिति में आगामी तेशी तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति हेतु आदेश जारी किये गये थे जिसमें अप्रार्थी सं. 10 को उक्त स्थगन से मुक्त रखा गया था। प्रार्थी के

Scanned with OKEN Scanner

...में प्रथम दृष्टया मामला बनने, सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना ...योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर ...आदेश जारी किये जाते हैं कि –

अप्रार्थीगण 1 ता 9 एवं 11 ता 19 को जरिये ताफैसला मूद वाद अस्थाई ...षेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाता है कि माल ग्राम मोईकलां पटवार हलका मोईकलां ...हसील सांगोद की खतोनी संख्या 606 के खसरा नंबर 2467 रकबा 0.10, खसरा नंबर 2937 ...कबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 2938 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 2939 रकबा 0.27 ...क्टर, खसरा नंबर 2940 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 2941 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा ...बर 2942 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 2943 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 2944 रकबा ...48 हैक्टर, खसरा नंबर 2945 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 2946 रकबा 0.20 हैक्टर, ...सरा नंबर 2947 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 2948 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नंबर ...949 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नंबर 2950 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नंबर 2951 रकबा 0.09 ...क्टर, खसरा नंबर 2952 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नंबर 2953 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा ...बर 2954 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 2957 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 2958 रकबा ...0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 2962 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नंबर २2963 रकबा 0.69 हेक्टर, ...सरा नंबर 2964 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नंबर 2965 रकबा 1.39 हेक्टर, खसरा नंबर ...966 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नंबर 2967 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नंबर 2968 रकबा 0.23 ...क्टर, खसरा नंबर 2969 रकबा 1.64 हैक्टर, खसरा नंबर 2970 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा ...बर 2971 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा नंबर 2971/1 उत्तर रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नंबर ...973 रकबा 1.00 हेक्टर, खसरा नंबर 2974/1 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नंबर 2974 रकबा ....64 हैक्टर, खसरा नंबर 2979 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 2979/1 पश्चिम रकबा 0.25 ...क्टर, खसरा नंबर 2980/1 पश्चिमी रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 2980 रकबा 0.04 ...क्टर, खसरा नंबर 2981/1 दक्षिणी रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नंबर 2981 रकबा 0.39 ...क्टर, खसरा नंबर 2982 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 2983 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा ...ंबर 2984 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 2985 रकबा 0941 हैक्टर, खसरा नंबर 2986 ...कबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 2987 रकबा 0975 हैक्टर, खसरा नंबर 2988 रकबा 3.03 ...हैक्टर, खसरा नंबर 2989 रकबा 091 हैक्टर, खसरा नंबर 2990 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा ...नंबर 2991 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 2992 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नंबर 3026 रकबा ...1.48 हैक्टर, खसरा नंबर 3027 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 3028 रकबा 0.26 हैक्टर,

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नंबर 3029 रकबा 1.19 हैक्टर, खसरा नंबर 3030 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नंबर 3031 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नंबर 3032 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नंबर 3033 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 3034 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 3035 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नंबर 3036 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नंबर 3037 रकबा 9.48 हैक्टर, खसरा नंबर 3037/1 उत्तर रकबा 10.25 हैक्टर, खसरा नंबर 3038 रकबा 0.52 हेक्टर, खसरा नंबर 3039 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 3040 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नंबर 3042 रकबा 1.53 हैक्टर, खसरा नंबर 3043 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 3044 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नंबर 3045 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नंबर 3046 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नंबर 3047 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नंबर 3048 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 75 की कुल 63.63 हैक्टर पर राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, ऐजेन्ट आदि से करावें।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 30-5-2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner